प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.03.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

आज दिनांक 07.03.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त करन नागर पुत्र राजू नागर निवासी संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह अवैध शस्त्र जनता में अपना रौब जमाने और अपने शौक के लिये अपने पास रखा हुआ था। मैं यह अवैध तमंचा व कारतूस लेकर बाहर निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

करन नागर पुत्र राजू नागर निवासी संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना लोनी बॉर्डर पर छेड़छाड़ के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा 97 बोरिया Bharati Bhawan Publishers & Distributors & Dhanpat Rai Publications Pvt.Ltd. copyright की नकली किताबें बरामद।

दिनांक 07.03.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी (भारती भवन पब्लिशर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर और धनपत राय पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी) द्वारा तहरीर दी गयी कि भारती भवन पब्लिशर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर और धनपत राय पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी हूँ मुझे कम्पनी से कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि कम्पनियों की नकली पुस्तकें मुरादनगर में ऑनलाइन बेची जा रही हैं व टीम के साथ थाना मुरादनगर गाजियाबाद में अपनी कॉपीराइट कम्प्लेंट को लेकर थानाध्यक्ष मुरादनगर को बताया, थानाध्यक्ष मुरादनगर ने पुलिस बल को साथ भेजा और जाँच के आदेश दिए, जब हम लोग मोहित पुत्र सूरज सिंह राधे श्याम फेस SHOP NO 4 मुरादनगर पर पहुंचे तो वहाँ पर हमें नकल पुस्तकें मिली जिनको हम पुलिस टीम के साथ थाना मुरादनगर लेकर आए, नकल पुस्तकें जो कि इस प्रकार है, भारती भवन पब्लिशर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर की कुल 3610 मिली जो कि इस

प्रकार है (1) कक्षा 6 गणित की कुल 1430 पुस्तकें (2) कक्षा 7 गणित की कुल 990 पुस्तकें (3) कक्षा 8 गणित की कुल 1150 पुस्तके (4) कक्षा 9 गणित की कुल 40 पुस्तकें धनपत राय पब्लिकेशन प्रा0 लि0 की कुल 1440 मिली जो कि इस प्रकार है (1) कक्षा 9 गणित की कुल 210 पुस्तकें (2) कक्षा 9 की एम0सी0क्यू0 गणित की कुल 210 पुस्तकें (3) कक्षा 10 की गणित की कुल 510 पुस्तकें (4) कक्षा 10 की एम0सी0क्यू0 गणित की कुल 510 पुस्तकें जिन्हे सफेद बोरो 97 में रखा गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा- 63 कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अधीन अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

97 बोरिया Bharati Bhawan Publishers & Distributors & Dhanpat Rai Publications Pvt.Ltd. copyright की नकली किताबें बरामद।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

स्वाट टीम नगर जोन गाजियाबाद व थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से छीने गये 01 कार टाटा नेक्सॉन व एक देशी तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक जोड़ी कुण्डल (पीली धातु) व चोरी की गयी एक बाइक बरामद।

घटना का विवरण –दिनांक 18.02.2026 को वादी श्री पवन बंसल निवासी गुर्जरगढी थाना वेव सिटी, गाजियाबाद द्वारा अपनी भाभी के कान के कुंडल 03 अज्ञात बाईक सवार व्यक्तियों द्वारा छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में; दिनांक 26.02.2026 को वादी श्री शिवम कुमार झा निवासी राज कम्पाउण्ड थाना वेव सिटी गाजियाबाद द्वारा अपनी मोटरसाइकिल TVS स्पोर्ट रंग काला रजि.सं. UP16EN7991 को 02 अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिए जाने के सम्बन्ध में; दिनांक 04.03.2026 को वादी श्री किसलय कुमार निवासी पल्ला नं0 1, फरीदाबाद, गाजियाबाद द्वारा कुछ अज्ञात बदमाश द्वारा वादी को बन्दूक दिखाकर वादी की गाडी टाटा नेक्सॉन नं0 HR51CN3266 व मोबाइल फोन छीनकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना वेवसिटी पर अभियोग क्रमशः मु.अ.सं. 046/2026 धारा 304(2) BNS, मु.अ.सं. 57/2026 धारा 303(2) BNS तथा मु.अ.सं. 62/2026 धारा 309(4) BNS पंजीकृत किए गए। इनकी बरामदगी हेतु तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण -दिनांक 07.03.2026 को स्वाट टीम, DCP नगर जोन कमि0 गाजियाबाद व थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान तथा मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्तगण—(1) राज राजपूत पुत्र मोहन राजपूत निवासी ग्राम ग्यासपुरा थाना कंगनवाल जिला लुधियाना राज्य पंजाब हाल पता रेलवे एन्क्लेव नियर हरिओम उद्योग गिरधरपुर रोड़ छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 23 वर्ष; (2) दर्शन पुत्र हजारीलाल उर्फ रामपाल निवासी टावर के सामने हरिओम कम्पनी के पास नेताजी के मकान में किराएदार गिरधरपुर थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर मूल निवासी ग्राम करीमलिया थाना राजनगर जिला छतरपुर राज्य मध्यप्रदेश उम्र करीब 21 वर्ष; तथा (3) अजय पुत्र पूरन निवासी चिपियाना फाटक के पास मनोज खल वाले के सामने बनी झुग्गी थाना बिसरख

जनपद गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम दानपुर थाना डिबाई जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 20 वर्ष—को बम्हैटा से गिरधरपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित अखाड़े के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से (1) एक जोड़ी कुण्डल (पीली धातु) सम्बन्धित मु.अ.सं. 46/2026 धारा 304(2)/317(2)/3(5) BNS थाना वेव सिटी; (2) मोटरसाइकिल TVS स्पोर्ट रजि0नं0 UP16EN7991 सम्बन्धित मु.अ.सं. 57/2026 धार 303(2)/317(2) BNS थाना वेव सिटी; (3) एक टाटा नेक्सॉन रजि0नं0 HR51CN3266 व एक देशी तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सम्बन्धित मु.अ.सं. 62/2026 धारा 309(4)/317(2)/3(5) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वेव सिटी को बरामद किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 04.03.2026 सुबह समय करीब 04.30 बजे हम दोनों (राज व दर्शन) व हमारे साथी लव चन्देला व योगेन्द्र डासना से दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो वहीं रास्ते में हाईटेक कालेज के सामने मेरठ से दिल्ली की तरफ जाने वाली मेन लाईन पर एक कार खड़ी थी जिसके सीसे खुले हुये थे तभी हम चारों ने उस गाड़ी को लूटने का प्लान किया और दर्शन को बाईक देकर वहीं सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था तथा बाकी हम तीनों ने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर दिल्ली जाने वाली मेन लेन पर हाईटेक कालेज के सामने इस गाड़ी में सो रहे दो व्यक्तियों से तंमचा दिखाकर और जबरदस्ती गाड़ी का गेट खुलवाकर उन्हें बाहर खड़ा कर उनकी गाड़ी तथा एक मोबाईल फोन छीन कर हम तीनों गाड़ी में सवार होकर दिल्ली की तरफ भाग गये थे हमारे पीछे-पीछे दर्शन भी बाईक को लेकर आ

गया था, मोबाईल फोन वहीं एक नाले में फेंक दिया था उसके बाद हम सभी चारों साथियों ने नोएडा में एक कार के ड्राईवर को तंमचा दिखाकर उसका फोन छीन लिया था और उस व्यक्ति के घरवालों से फोन पे पर रुपये डलवाकर और डराकर फोन पे का पासवर्ड पूछकर रुपये ले लिये थे और उस व्यक्ति को भगा दिया था, दर्शन व अजय ने बरामद एक जोडी कुण्डल के बारे में पूछने पर बताया कि हमने (दर्शन व अजय) तथा हमारे साथी योगेन्द्र के साथ कुछ दिन पहले गुर्जरगढ़ी गांव में पथवारे में गोबर के उपले बना रही एक महिला के कानों से छीन लिये थे तथा बरामद मोटरसाईकिल TVS स्पोर्ट रजि0 नं0 UP16EN7991 के बारे में अजय ने बताया कि यह मोटरसाईकिल मैंने तथा मेरे साथी लव चन्देला ने कुछ दिन पहले मंगल बाजार में बिलिंकिट स्टोर के पास लालकुआँ से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

- **राज राजपूत**: उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग व कमि0 गौतमबुद्धनगर में 01 अभियोग पंजीकृत है।
- **दर्शन**: उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर 02 अभियोग, जीआरपी गाजियाबाद में 01 अभियोग व कमि0 गौतमबुद्धनगर में 04 अभियोग पंजीकृत है।
- **अजय**: उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर 02 अभियोग व जनपद बुलन्दशहर में 01 अभियोग पंजीकृत है

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी संकलित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. राज राजपूत पुत्र मोहन राजपूत निवासी ग्राम ग्यासपुरा थाना कंगनवाल जिला लुधियाना राज्य पंजाब हाल पता रेलवे एन्क्लैव नियर हरिओम उद्योग गिरधरपुर रोड़ छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर (उम्र 23 वर्ष)
2. दर्शन पुत्र हजारीलाल उर्फ रामपाल नि0 टावर के सामने हरिओम कम्पनी के पास नेताजी के मकान में किराएदार गिरधरपुर थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर मूल नि0 करीमलिया थाना राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 (उम्र 21 वर्ष)
3. अजय पुत्र पूरन निवासी चिपियाना फाटक के पास मनोज खल वाले के सामने बनी झुग्गी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम दानपुर थाना डिबाई जिला बुलन्दशहर (उम्र 20 वर्ष)

बरामदगी

- एक जोड़ी कुण्डल (पीली धातु)
- 01 मोटरसाइकिल TVS स्पोर्ट रजि0नं0 UP16EN7991
- 01 कार टाटा नेक्सॉन रजि0नं0 HR51CN3266
- एक देशी तमंचा 315 मय 02 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- स्वाट टीम, पुलिस उपायुक्त, नगर जोन कमि0 गाजियाबाद
- थाना वेव सिटी पुलिस टीम ।